कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

एटीएस की टीम द्वारा दिल्ली में NEET परीक्षा प्रकरण में एक और अभियुक्त गिरफ्तार व करोड़ों रुपये के चैक व अन्य दस्तावेज बरामद

जयपुर 13 मई। एटीएस टीम को दिल्ली में NEET परीक्षा प्रकरण में अभियुक्त उमाशंकर गुप्ता को गिरफ्तार करने व उससे करोड़ो रुपये के चैक व दस्तावेज बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।

अतिरिक्त महानिदेशक, एटीएस एवं एसओजी उमेश मिश्रा ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक, एटीएस, राजस्थान श्री विकास कुमार के निर्देशन में गठित टीम ने NEET परीक्षा प्रकरण में अभियुक्त श्री उमाशंकर गुप्ता पुत्र श्री वशिष्ठ कुमार गुप्ता उम्र 42 वर्ष निवासी 19एस, सैक्टर–8, जसौला विहार, दिल्ली में गिरफ्तार कर उसके कब्जे से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किये गये व पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त विक्रम सिन्हा व विकास सिन्हा, अशोक गुप्ता के सूचना पर ग्रीनपार्क, लाजपत नगर, दिल्ली में स्थित एजू गाइड्स एण्ड कन्सलटेंसी कार्यालय से दस्तावेज बरामद किये गये व इनके निवास स्थलों की तलाशी से करोड़ो रुपये के चैक व परीक्षार्थियों के मूल दस्तावेज बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।

श्री विकास कुमार ने बताया कि अभियुक्त उमाशंकर गुप्ता को परीक्षा पैपर लीक मामले में वर्ष 2006 में शिमला में व वर्ष 2015 में तेलंगाना में भी उक्त परीक्षा के सन्दर्भ में स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि अभियुक्त उमाशंकर गुप्ता से पूछताछ के दौरान परीक्षा पैपर लीक करने के साथ–साथ एन.आर.आई. कोटे में तथा असल परीक्षार्थी की एवज में दूसरों (फर्जी परीक्षार्थी) को परीक्षा में बैठाकर मोटी रकम हासिल करना स्वीकार किया। अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया जा रहा है।

<u>कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर</u>
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

एटीएस, जयपुर ने किया
3000 रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार

जयपुर 13 मई। एटीएस जयपुर की टीम ने शनिवार को जयपुर पुलिस आयुक्तालय के 3 हजार रुपये का इनामी अभियुक्त अशोक भाटी को महामंदिर थाना जोधपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

अतिरिक्त महानिदेशक, एटीएस एवं एसओजी श्री उमेश मिश्रा ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि आतंकवाद निरोधक दस्ता, राजस्थान, जयपुर के श्री विकास कुमार, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एवं अतिरिक्त्त पुलिस अधीक्षक, ए.टी.एस. यूनिट, अजमेर के नेत्त्व में टीम का गठन किया जाकर श्री मोहन सिंह, सहायक उप निरीक्षक, श्री सतवीर सिंह, कानि. एवं अब्दुल मस्जिद,

कानि. ने 13 मई, 2017 को 3 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त अशोक भाटी पुत्र श्री कुन्दनमल भाटी, निवासी 3058 माली मोहल्ला, आनासागर क्रिश्चियन गंज, अजमेर हाल निवासी राजाराम नगर द्वितीय, पुलिस थाना महामंदिर, जोधपुर (पूर्व), जोधपुर आयुक्तालय को महामंदिर थाना जोधपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

श्री उमेश मिश्रा ने बताया कि उक्त अभियुक्त प्रकरण संख्या 381/2009 पुलिस थाना महेश नगर, जयपुर (दक्षिण) एवं प्रकरण संख्या 416/2011 पुलिस थाना जवाहर संर्किल, जयपुर (पूर्व) में वांछित था एवं कई वर्षों से फरार चल रहा था। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जवाहर संर्किल, जयपुर (पूर्व) को सुपुर्द किया गया।

भिवाडी नगीना गार्डन के पास हुई फायरिग का पर्दाफाश इन्जिनियर सुनील गढ को गोली मरवाने वाला मास्टर माइंड योगेन्द्र उर्फ योगी गिरफतार

जयपुर 13 मई। भिवाड़ी पुलिस ने नगीना गार्डन के पासस हुई फायरिंग का पर्दाफाश करते हुए इंजीनियर सुनील गढ को गोली मरवाने वाले मास्टर माइंड योगेन्दग उर्फ योगी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि अपराधों की रोकथाम व अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए समस्त थानाधिकारियो को निर्देश देकर विशेष टीम गठित की। इस पर थाना भिवाडी ने 12 मई, 2017 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाडी श्री राजेन्द्र प्रसाद खोथ व वृताधिकारी भिवाडी श्री सिद्धांत शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी भिवाडी, चौपानकी मय टीम द्वारा घटना का खुलासा करते हुए घटना को अन्जाम दिलाने वाला षडंयन्त्र कारी आरोपी योगेन्द्र उर्फ योगी पुत्र रघुवर दयाल जाति ब्राम्हण उम्र करीब 37 साल नि0 928 ब्लाक 19 कोसमोस ग्रीन भिवाडी थाना भिवाडी अलवर राज0 को गिरफ्तार किया गया।

श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि आरोपी योगेन्द्र उर्फ योगी ने करीब चार पांच साल पूर्व विनसफर्मा सूटिकल्स आयुर्वेदिक दवा कि फैक्टी रामपुरा भिवाडी में लगायी थी जिसके चलते हुए आरोपी योगेन्द्र कि इन्जिनियर सुनिल गढ से दोस्ती हो गयी और इसके उपरान्त दोनों ने पार्टनरशिप में करीब 3–4 साल पूर्व भिवाडी ओधौगिक क्षेत्र में हिन्दुस्तान मडिकयोर प्रा0 लि0 के नाम से दवा बनाने का प्रोजेक्ट लगाया। जिस प्रोजेक्ट के चलते हुए इसका हिसाब किया तो

हिसाब के दौरान करीब 16 लाख रुपये का नुकसान जाने पर सुनिल गढ व आरोपी योगेन्द्र का मन मुटाव हो जाने से षडयन्त्र कारी आरोपी योगन्द्र को कम्पनी के डायरेक्ट पद से हटा दिया और हिसाब नहीं किया। इस पर दोनों पक़्षों कि आपस में चलती रंजिश को लेकर वर्ष 2014 व 2015 में मुकदमे बाजी हुयी। आरोपी योगेन्द्र का ससुराल पक्ष का मकान भी बैक लॉन में रखा जिस मकान को भी बैक द्धारा कब्जे में ले लिया गया। उपरोक्त बातों को लेकर बढती रजिश के कारण आरोपी योगेन्द्र ने मुरारी गुर्जर पुत्र मोहर सिह नि0 सेदपुर भिवाडी को पंचास हजार रुपये कि सुपारी देकर पार्टनर इन्जिनियर सुनिल गढ व उसकी पत्नि डा0 श्रीमति विपला को डरा धमका कर हिसाब करवाने व हिसाब नहीं करने पर गोली मारने कि योजना बनायी, इस योजना को लेकर मुरारी गुर्जर ने अपने अन्य साथी अभियुक्त के साथ मिलकर उक्त घटना को अजान्म दिया गया।

उन्होंने बताया कि 5 मई 17 को रात्रि करीब 9.30—10.00 बजे के बीच इन्जिनियर सुनिल गढ अपनी पत्नि डा0 श्रीमति विपला के साथ अपनी होण्डा सिटी कार एचआर 26 बीजी 9076 से आगन प्लाजा भिवाडी से आशियाना विलेज भिवाडी जा रहे थे, तभी रास्ते में दो बाईक सवारों ने कार को रुकवाने का प्रयास किया कार के नहीं रुकने पर ड्राईवर साइड की खिडकी के बराबर आकर इन्जिनियर कार चालक सुनिल गढ पर पिस्टल से फायरिंग कि जो कार का शीशा टूट कर सुनिल गढ के दांये हाथ की बाजू में लगी। जिस सम्बन्ध में अज्ञात आरोपीगणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुवा था।

राही / सन्तरा / 386—89 / 2017

नोटः— उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।